दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 05/02/2018 की कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 विजय कृष्ण सिंह	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र मिश्र	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 गोपी नाथ	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 राजेन्द्र सिंह	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
6	डॉ0 आनंद सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
7	प्रो0 सी0पी0 श्रीवास्तव	आचार्य, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
8	डॉ0 श्रीमती छायादेवी	उपाचार्य, संस्कृत विभाग	सदस्य
9	डॉ0 ओंकार नाथ मिश्र	प्राचार्य, श्री भगवान महावीर पी0जी0 कालेज, पावानगर, फाजिलनगर, कुशीनगर	सदस्य
10	डॉ0 प्रदीप कुमार सिन्हा	वरिष्ठ शिक्षक, सविता नारायण पी0जी0 कालेज, पडरौना, कुशीनगर	सदस्य
11	प्रो0 विनोद कुमार सिंह	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
12	डॉ0 एस0एन0 शर्मा	अध्यक्ष, गुआक्टा	सदस्य
13	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव
14	प्रो0 रविशंकर सिंह	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमन्त्रित

1. (क) समीना खातून पुत्री अबुल कलाम बी0एड0 वर्ष–2013 अनुक्रमांक–6764260080, केन्द्र–अवध सेण्टर ऑफ एजुकेशनल फॉर वुमेन खड़जा, सेमरिहवा, सन्तकबीरनगर प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित होकर 278 अंक प्राप्त किया है एवं सिद्धान्त (Theory) के परीक्षा में सम्मिलित नहीं है। छात्रा वर्ष–2014 में भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित है। बी0एड0 वर्ष–2014, अनुक्रमांक–7764260074 का परीक्षाफल इस आधार पर रोक दिया गया है कि छात्रा वर्ष–2013 में सिद्धान्त के परीक्षा में सम्मिलित नहीं है, इसलिए वर्ष–2014 की परीक्षा में भूतपूर्व छात्रा के लिए अर्ह नही है।

छात्रा द्वारा वर्ष–2014 के परीक्षाफल की मांग की गयी है छात्रा के बी0एड0 वर्ष–2014 के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि समीना खातून पुत्री अबुल कलाम बी0एड0 वर्ष–2014, अनुक्रमांक–7764260074 का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।

(ख) रीना चतुर्वेदी बी0पी0एड0 वर्ष–2014, अनुक्रमांक–7754170011, परीक्षा केन्द्र–श्रीमती प्रभा देवी महाविद्यालय खलीलाबाद संतकबीरनगर से सैद्धांतिक विषय के एक पेपर में केवल सम्मिलित हुई हैं एवं वर्ष–2015 की बी0पी0एड0 परीक्षा अनुक्रमांक–1530754170001 से भूतपूर्व छात्रा के रूप में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित हुई हैं परीक्षा सामान्य अनुभाग ने इस आधार पर इनका परीक्षाफार्म निरस्त कर दिया कि वे भूतपूर्व छात्रा के रूप में अर्ह नहीं हैं छात्रा के प्रत्यावेदन के क्रम में परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रीना चतुर्वेदी, बी0पी0एड0 वर्ष–2015, अनुक्रमांक–1530754170001 का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा भविष्य में इसे नज़ीर न माना जाय।

(ग) पंकज कुमार आनन्द एम0एस0 आर्थोपेडिक्स वर्ष–1994, बी0आर0डी0 मेडिकल कालज, गोरखपुर से उत्तीर्ण हैं। इनके द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया है कि सारणीयन पंजिका में मेरे पिता का नाम एस0आर0 आनन्द के स्थान पर बी0आर0 आनन्द अंकित हैं, जबकि सारणीयन पंजिका में पिता का नाम बी0आर0 आनन्द के स्थान पर एस0आर0 आनन्द अंकित होना चाहिए। सारणीयन पंजिका में पिता का नाम संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत किया जाय, साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, पेनकार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र आदि संलग्न है एवं बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के सम्बन्धित सेक्शन से भी अग्रसारित है। पंकज कुमार आनन्द के पिता का नाम बी0आर0 आनन्द के स्थान पर एस0आर0 आनन्द के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पंकज कुमार आनन्द एम0एस0 आर्थोपेडिक्स वर्ष–1994, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पिता का नाम बी0आर0 आनन्द के स्थान पर एस0आर0 आनन्द के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

(घ) दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेश मणि त्रिपाठी ने अपना नाम बदलकर दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेष मणि त्रिपाठी कर लिया है। इन्होंने नाम बदलने के क्रम में हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट के प्रमाण पत्र में अपना

नाम वीक्षा मणि त्रिपाठी से दीक्षा मणि त्रिपाठी करा लिया है और मांग किया है कि मेरे स्नातक भाग एक, द। और तीन कन्द्र गंगोत्री देवी पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, एल0एल–बी0 सेण्ट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में एवं सारणीयन पंजिका में वीक्षा मणि त्रिपाठी से दीक्षा मणि त्रिपाठी नाम संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जाय। साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल एवं इण्टरमिडिएट का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं शपथ पत्र आदि संलग्न है। साथ ही क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी का नाम संशोधन सम्बन्धी आदेश भी संलग्न है। वीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेश मणि त्रिपाठी से दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्र शैलेष मणि त्रिपाठी के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यायल, वाराणसी का नाम संशोधन सम्बन्धी आदेश के क्रम में वीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्री शैलेश मणि त्रिपाठी के नाम के स्थान पर दीक्षा मणि त्रिपाठी पुत्र शैलेष मणि त्रिपाठी के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

(ड़) रिया आर्या पत्नी रितेश कुमार वर्ष–2017 बी0ए0 भाग एक अनुक्रमांक–1720017090024, कन्द्र– बाबू जंगी सिंह डिग्री कालेज, बढ़याचौक, गोरखपुर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। छात्रा के हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट के प्रमाण पत्र में नाम कु0 उजमा अफरीन पुत्री असरार हुसैन माता रईस फातमा अंकित है। छात्रा ने अपना नाम परिवर्तित कर हिन्दू विधि से विवाह रितेश कुमार से कर लिया है एवं हिन्दू मैरेज सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है, छात्रा द्वारा हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट का प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड, रजिस्ट्रार हिन्दू मैरेज, सब–डिस्ट्रीक्ट गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से निर्गत सर्टिफिकेट, आर्य समाज गोरखपुर (बक्शीपुर), गोरखपुर उत्तर प्रदेश द्वारा विवाह प्रमाण पत्र आदि संलग्न है। छात्रा का विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष का घोषित परीक्षाफल परीक्षा समिति के अनुमोदनार्थ/सूचनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति रिया आर्या पत्नी रितेश कुमार वर्ष–2017 बी0ए0 भाग एक अनुक्रमांक–1720017090024, केन्द्र– बाबू जंगी सिंह डिग्री कालेज, बढ़याचौक, गोरखपुर के परीक्षाफल घोषित होने से अवगत हुई।

(च) कु0 सुमन त्रिपाठी पुत्री श्री विन्ध्याचल त्रिपाठी एम0ए0 (हिन्दी) अंतिम वर्ष–1998, अनुक्रमांक–62764, कन्द्र–शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज बस्ती ने प्रत्यावेदन किया है कि परीक्षा फार्म भरते समय विवाह होने के कारण मैं अपना नाम श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय परीक्षा फार्म में भर दिया था, जिसके कारण एम0ए0 की अंकतालिका एवं सारणीयन पंजिका में श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय अंकित हो गया है।

अतः श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय के स्थान पर कु0 सुमन त्रिपाठी पुत्री विन्ध्याचल त्रिपाठी का नाम सारणीयन पंजिका में संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत की जाय। साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र, भारत निर्वाचन चुनाव आयोग पहचान पत्र, हाईस्कूल, इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं एम0ए0 (हिन्दी) प्रथम वर्ष–1997 की अंकतालिका की छायाप्रति आदि संलग्न है। सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय के नाम संशोधन पर विचार।

निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्रीमती सुमन पाण्डेय पत्नी प्रदीप पाण्डेय के स्थान पर कु0 सुमन त्रिपाठी पुत्री विन्ध्याचल त्रिपाठी का नाम सारणीयन पंजिका में संशोधन कर अंकतालिका एवं उपाधि निर्गत कर दिया जाय।

(छ) उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित एस0आई0टी0 टीम द्वारा फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच के सम्बन्ध में (1). श्री सौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, (2). विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161, परीक्षा केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं (3). पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र–गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु माननीय कुलपति जी द्वारा गठित त्रिसदस्यीय समिति–

1. प्रो0 शेलजा सिंह, अधिष्ठाता शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर –संयोजक
2. डॉ0 उदय सिंह, शिक्षा शास्त्र विभाग, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर –सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक, –अभिलेख प्रस्तुतकर्ता

द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुति, पर विचार।

समिति की आख्या में उधृत है कि–

1. 'समिति ने उत्तराखण्ड शासन द्वारा गठित एस0आई0टी0 द्वारा प्राप्त 1. श्री सौकेन्द्र कुमार, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, 2. श्री विमल कुमार, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161 एवं 3. पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अंकपत्रों की मिलान/जांच इससे सम्बन्धित विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से की गयी तथा निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सम्बन्धित सारणीयन पंजिका

विश्वविद्यालय के बी0एड0 विभाग से मंगाकर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय ताकि वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके, समिति के निर्णय के आलोक में अधिष्ठाता शिक्षा संकाय को पत्र संख्या–1472/ प0नि0का0/2017 दिनांक 04/12/2017 द्वारा पत्र प्रेषित कर सम्बन्धित सारणीयन पंजिका विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग से माँग की गयी तथा विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग द्वारा उक्त सारणीयन पंजिका उपलब्ध करायी गयी।

2. समिति द्वारा विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष (Record room) के सारणीयन पंजिका (Tabulation Chart) व विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग (Department) की सारणीयन पंजिकाओं का विस्तृत अवलोकन किया गया तथा अवलोकनोपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया कि–

(क)विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में श्री सौकेन्द्र कुमार, बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209 का नाम मूल रिकार्ड खुरचकर/टेम्परिंग कर बाद में नाम अंकित किया गया है।

जबकि विश्वविद्यालय के बी0एड0 विभाग की सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक पर योगेश ओझा पुत्र श्री रामचन्द्र ओझा का नाम मूलतः अंकित है तथा परीक्षाफल सिद्धान्त (थियोरी) में 273/500 अंक पाकर द्वितीय श्रेणी एवं प्रयोगात्मक (प्रैक्टिकल) में 121/200 अंक पाकर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण दर्ज है।

(ख)विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999 अनुक्रमांक–57161 पर नाम अंकित नही है। इस अनुक्रमांक पर खुरचकर कु0 वन्दना सिंह पुत्री श्री राम निरंजन सिंह का नाम अंकित किया गया है।

जबकि विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग की सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक पर राकेश पाण्डेय पुत्र श्री जितेन्द्र पाण्डेय का नाम मूलतः अंकित है तथा परीक्षाफल कॉलम में परीक्षाफल निरस्त अंकित है।

(ग)विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043 से सम्बन्धित सारणीयन पंजिका का पेज संदिग्ध/पेज बदला हुआ प्रतीत होता है। जबकि विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग की सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक पर चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री सोमई राम तथा परीक्षाफल कॉलम योग सिद्धान्त में फेल तथा परीक्षाफल कॉलम प्रयोगात्मक में 116/200 अंक के साथ द्वितीय श्रेणी (II) अंकित है।

सम्पूर्ण तथ्यों के अभिलेखीय परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि–

विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में श्री शौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161 खुरचकर/टेम्परिंग कर नाम अंकित किया गया है एवं पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043 का पेज पूर्णतया संदिग्ध/पेज बदला हुआ है।

विश्वविद्यालय बी0एड0 विभाग (Department) की सारणीयन पंजिका में–

1. बी0एड0 वर्ष–1999 अनुक्रमांक–57209 पर योगेश ओझा पुत्र श्री रामचन्द ओझा का नाम अंकित है।

2. बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161 पर राकेश पाण्डेय पुत्र श्री जितेन्द्र पाण्डेय का नाम अंकित है तथा परीक्षाफल कॉलम में परीक्षाफल निरस्त दर्ज है।

3. पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043 पर चन्द्रशेखर प्रसाद पुत्र श्री सोमई राम तथा परीक्षाफल कॉलम योग सिद्धान्त में फेल तथा परीक्षाफल कॉलम प्रयोगात्मक में 116/200 अंक पाकर द्वितीय श्रेणी अंकित है।

इन तीनों छात्रों का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र पूर्णतया इस आधार पर फर्जी है कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी परीक्षा का सारणीयन पंजिका दो प्रतियों में बनती है। जिसकी एक प्रति विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में तथा द्वितीय प्रति विश्वविद्यालय के विभागों में/सम्बन्धित महाविद्यालयों में रहता है।

अतः अभिलेखीय दस्तावेजों के परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि–

1. (क) श्री शौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209 एवं श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161, केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

(ख) पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र–गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी हैं तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

अतः इन तीनों छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने के सम्बन्ध में एस0आई0टी0 उत्तराखण्ड को सूचित किया जाना उचित होगा।

2. (क) विश्वविद्यालय केन्द्र का बी0एड0 वर्ष–1999 एवं 1994 की सारणीयन पंजिका जो अभिलेख कक्ष में है, के साथ–साथ विभागीय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में रखी जाय एवं आगे इन सत्रों के छात्रों के अभिलेख सत्यापन के समय दोनों सारणीयन पंजिकाओं को देखकर ही सत्यापन पत्र निर्गत किए जायं।

(ख) इस संदर्भ में विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की बी0एड0 वर्ष–1999 एवं बी0एड0 वर्ष–1994 से सम्बन्धित सारणीयन पंजिकाओं में की गयी टेम्परिंग आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु एक अलग से समिति गठित करने की संस्तुति करती है।"

निर्णयः परीक्षा समिति ने गठित समिति द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुतियों को गहन विचारोपरान्त स्वीकार करते हुए निम्नवत निर्णय लिया–

(i) श्री शौकेन्द्र कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57209, श्री विमल कुमार बी0एड0 वर्ष–1999, अनुक्रमांक–57161, केन्द्र–दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर एवं पूनम बी0एड0 वर्ष–1994, अनुक्रमांक–4043, परीक्षा केन्द्र–गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का अंकपत्र/प्रमाण पत्र पूर्णतया फर्जी पाये जाने के कारण अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र निरस्त की जाती है।

(ii) इन तीनों छात्रों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की सूचना से एस0आई0टी0 उत्तराखण्ड को सूचित कर दी जाय।

(iii) विश्वविद्यालय केन्द्र का बी0एड0 वर्ष–1999 एवं 1994 की सारणीयन पंजिका जो अभिलेख कक्ष में है, के साथ–साथ विभागीय सारणीयन पंजिका की प्रमाणित प्रति भी विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में रखी जाय एवं आगे इन सत्रों के छात्रों के अभिलेख सत्यापन के समय दोनों सारणीयन पंजिकाओं को देखकर ही प्रभारी अभिलेख कक्ष द्वारा सत्यापन पत्र निर्गत किए जायं।

(iv)विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष की बी0एड0 वर्ष–1999 एवं बी0एड0 वर्ष–1994 से सम्बन्धित उपर्युक्त अनुक्रमांक वाली सारणीयन पंजिकाओं में की गयी टेम्परिंग आदि के सम्बन्ध में जांच हेतु एक अलग से समिति गठित की जाय।

(ज) कु0 सुनैना प्रजापति, बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2013 की परीक्षा अनुक्रमांक–6111150268, विषय–समाज शास्त्र एवं हिन्दी के तीनों प्रश्नपत्रों की परीक्षा में मदन मोहन मालवीय पी0जी0 कालेज, भाटपाररानी, देवरिया से सम्मिलित हैं। हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र उत्तरपुस्तिका न मिलने के कारण इनका हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्र में अंक के अभाव में परीक्षाफल अपूर्ण है। सुनैना प्रजापति ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 06/06/2017 के द्वारा आई0जी0आर0एस0 (जनसुनवाई के तहत) संदर्भ संख्या–40019017001332 से मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ में परीक्षाफल की मांग की है। प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/11/2017 के बिन्दु संख्या–17 में लिए गये निर्णय के क्रम में सुनैना प्रजापति को हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों के अंक किस आधार पर दिया जाय इस हेतु निम्न की गठित समिति–

1. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर – संयोजक
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, दी0द0उ0गो0वि0गोरखपुर – सदस्य
3. परीक्षा नियंत्रक – सदस्य/सचिव

समिति द्वारा निम्नवत संस्तुतियां की गयी–

1. आनलाईन परीक्षाफार्म भरते समय सुनैना प्रजापति के परीक्षा आवेदन फार्म में समाज शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषय का चयन किया गया था। सारणीयन पंजिका में समाज शास्त्र विषय के तीनों प्रश्नपत्रों का अंक अंकित है। किन्तु राजनीति शास्त्र के कॉलम में अंक अपूर्ण है। परीक्षा वर्ष–2013 सम्पन्न होने के लगभग दो वर्ष बाद महाविद्यालय स्तर से प्राप्त उसके आवेदन दिनांक 07/07/2015 से पता चला कि छात्रा ने विश्वविद्यालय को बिना सूचित किए महाविद्यालय स्तर पर विषय परिवर्तन कर राजनीति शास्त्र विषय की जगह हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों में परीक्षा दी है।

2. वर्ष–2013 परीक्षा के मूल्यांकन उत्तरपुस्तिका के हार्ड डिस्क (अंक चिट का डिजिटलाइज्ड प्रारूप–Degitalized Form of Award-List) में हिन्दी विषय के किसी प्रश्नपत्र में अनुक्रमांक–6111150268 का अंक उपलब्ध नहीं है।

3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 29/07/2011 के संकल्प संख्या 'ग' में लिए गये निर्णयानुसार परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 60 दिन (दो माह) के अन्दर अपूर्ण परीक्षाफलों से सम्बन्धित परीक्षार्थियों से प्राप्त पत्रिवेदनों पर ही विश्वविद्यालय स्तर पर विचार किया जाना है। निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन पत्र का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का नहीं है।

4. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22/02/1981 के संदर्भ संख्या–17 में विश्वविद्यालय प्रपत्रों एवं अभिलेखों को रखने की अवधि निश्चित करने के प्रस्ताव (रिटेंशन सिड्यूल) के क्रम संख्या–14 के अनुसार मूल्यांकित उत्तरपुस्तिकों को परीक्षा की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक ही रखे जाने की व्यवस्था है।

5. महाविद्यालय से प्राप्त बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2013 हिन्दी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रश्नपत्र की महाविद्यालय से प्राप्त पी–7 की छायाप्रति में सुनैना प्रजापति का उपस्थिति (हस्ताक्षर) एवं अनुक्रमांक क्रमिक स्थान पर अंकित नही है। यह भी प्रतीत होता है कि परीक्षा के समय उक्त छात्रा की आसन (सीट) की व्यवस्था कहीं अन्यत्र की गयी थी।

6. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/02/2014 के संकल्प संख्या–3 में लिए गये निर्णय में किसी भी परीक्षार्थी के एक प्रश्नपत्र में ही औसत अंक प्रदान करने की व्यवस्था है।

अतएव समिति इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि तीन वर्ष बीत जाने के कारण उपरोक्त स्थितियों के दृष्टिगत कु0 सुनैना प्रजापति को बी0ए0 भाग तीन सत्र 2012–13 परीक्षा वर्ष–2013, अनुक्रमांक– 6111150268 पर हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र में अंक देने का कोई आधार नहीं बन पा रहा है।

निर्णयः परीक्षा समिति ने गठित समिति की प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुति का अवलोकन किया तथा गहन विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुतियों के अनुसार कु0 सुनैना प्रजापति को बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2013 अनुक्रमांक–6111150268 पर हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र में अंक देने का कोई आधार नहीं बन पा रहा है। चूँकि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत पी–7 के अनुसार कु0 सुनैना प्रजापति बी0ए0 भाग तीन वर्ष–2013 अनुक्रमांक–6111150268 पर हिन्दी प्रथम प्रश्नपत्र, द्वितीय प्रश्नपत्र एवं तृतीय प्रश्नपत्र की परीक्षा में सम्मिलित हैं तथा बी0ए0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण हैं इन परिस्थितियों के दृष्टिगत छात्रहित में समिति ने निर्णय लिया कि सुनैना प्रजापति को वर्ष–2018 की परीक्षा में बी0ए0 भाग तीन हिन्दी विषय के तीनों प्रश्नपत्रों में सम्मिलित करा लिया जाय तथा भविष्य में इसे नजीर न माना जाय।

(झ) श्री महेश तिवारी, प्रबन्धक, विश्वनाथ तिवारी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निरूपुर, बलिया के पत्र दिनांक 23/08/2017 द्वारा श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया के अभिलेखों की सत्यता के सम्बन्ध में मांगी गयी सत्यापन आख्या एवं इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण अभिलेखों की विस्तृत जांच हेतु माननीय कुलपति द्वारा गठित जांच समिति–

1. अधिष्ठाता, निधि संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर – संयोजक।
2. पो0 एन0पी0 भोक्ता, शिक्षा संकाय, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर – सदस्य।
3. परीक्षा नियंत्रक – अभिलेख प्रस्तुतकर्ता

द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या/संस्तुति–

1. समिति द्वारा श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया का विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में उपलब्ध सारणीयन पंजिका का अवलोकन किया गया अवलोकनोपरान्त समिति ने पाया कि बी0एड0 तृतीय प्रश्नपत्र में (शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक सांख्यिकी) एवं चतुर्थ प्रश्नपत्र (शैक्षिक प्रशासन एवं स्वास्थ्य शिक्षा) के अंकों में ओवर राइटिंग कर अंक बढ़ाये गये हैं तथा सिद्धान्त योग 171 काटकर 183 अंक चढ़ाया गया है।

2. श्री महेश तिवारी, प्रबन्धक, विश्वनाथ तिवारी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निरूपुर, बलिया के पत्र दिनांक 23/08/2017 द्वारा श्री जयप्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया का अंकपत्र सत्यापन हेतु प्राप्त हुआ। कार्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष में उपलब्ध सारणीयन पंजिका का सत्यापन हेतु जब अवलोकन किया गया तो सारणीयन पंजिका में उक्त अनुक्रमांक के अंकों में ओवर राइटिंग पायी गयी तब कार्यालय द्वारा निर्णय लिया गया परीक्षा नियंत्रक एवं कुलपति जी से आदेश लेकर महाविद्यालय से सारणीयन पंजिका मंगा लिया जाय। माननीय कुलपति जी के आदेश के क्रम में परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्राचार्य श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया से सारणीयन पंजिका की प्रमाणित छायाप्रति मंगवाने हेतु पत्रांक संख्या–1367/प0नि0का0/2017 दिनांक 23/10/2017 द्वारा सारणीयन पंजिका की मांग की गयी। प्राचार्य

द्वारा पत्रांक 475/सत्यापन/बी0एड0/2017–18 दिनांक 18/11/2017 द्वारा सारणीयन पंजिका की हस्ताक्षरित छायाप्रति प्राप्त हुआ।

3. समिति ने श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया से प्राप्त सारणीयन पंजिका का भी अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त समिति ने विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका एवं महाविद्यालय की सारणीयन पंजिका में कोई अन्तर नहीं पाया, बल्कि महाविद्यालय सारणीयन पंजिका में पत्रांक 239 दिनांक 17/10/1987 द्वारा तृतीय प्रश्न पत्र एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंकों को ओवर राइटिंग कर चढ़ाया गया एवं लघु हस्ताक्षर भी किया गया है। जैसा विश्वविद्यालय अभिलेख कक्ष के सारणीयन पंजिका में है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के जिन लोगों द्वारा सारणीयन पंजिकाओं में अंक चढ़ाया गया है उसे ओवर राइटिंग न कर बल्कि उसे काटकर अंक चढ़ाना चाहिए था ताकि संदेह की स्थिति पैदा नहीं होती।

अतः अभिलेखीय दस्तावेजों के परीक्षण से समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि–

(क) श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र बी0एड0 परीक्षा वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477, परीक्षा केन्द्र–श्री मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय, बलिया के अंकपत्र इस आधार पर सही है कि दोनों सारणीयन पंजिकाओं में कोई अन्तर नहीं है, तथा महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में पत्रांक भी अंकित है एवं बढ़ाये गये अंक पर लघु हस्ताक्षर भी है।

(ख) तदक्रम में प्रबन्धक, श्री विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरूपुर बलिया के श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477 का प्राप्त अंकपत्र का सत्यापन भेजा जा सकता है।

निर्णयः समिति ने गहन विचारोपरान्त, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए श्री जय प्रकाश मिश्र पुत्र श्री महावीर मिश्र के बी0एड0 वर्ष–1987, अनुक्रमांक–19477 के प्राप्त अंकपत्र का सत्यापन भेजने का निर्णय लिया।

(ञ) विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी मोबाईल के साथ अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े जाते हैं तथा अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति पकड़े गये माबाईल के रिपोर्ट के आधार पर मोबाइल फोन को अनुचित साधन सामग्री मानते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी का गतवर्ष का परीक्षाफल निरस्त कर देती है। अभ्यर्थी द्वारा अपने मोबाईल फोन मांग करने पर अभ्यर्थी को मोबाईल फोन वापस करने पर विचार।

निर्णयः विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाओं में जो अभ्यर्थी मोबाईल के साथ अनुचित साधन प्रयोग में पकड़े जाते हैं तथा अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति पकड़े गये माबाईल के रिपोर्ट के आधार पर मोबाइल फोन को अनुचित साधन सामग्री मानते हुए सम्बन्धित अभ्यर्थी का सम्बन्धित वर्ष का परीक्षाफल निरस्त कर देती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है एवं कभी–कभी प्रकरण मा0 न्यायालय में भी रहता है, अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी द्वारा अपने मोबाईल फोन मांग करने पर, दो वर्ष पश्चात इस आशय का शपथ पत्र लेकर कि "अभ्यर्थी का प्रकरण मा0 न्यायालय में किसी रुप में लम्बित नहीं है, एवं इस मोबाइल का प्रयोग वह इस परीक्षा से सम्बन्धित किसी वाद में आगे प्रयोग नहीं करेगा," मोबाईल वापस कर दिया जाय।

(ट) समिति ने परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत विन्दुओं पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिया–

निर्णयः (i) *किसी छात्र ने यदि आनलाईन परीक्षाफार्म भरते समय एक ही परीक्षाफार्म के सापेक्ष दो बार परीक्षा शुल्क आनलाईन जमा कर दिया है, ऐसे छात्र का एक परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाय। लेकिन यदि कोई छात्र किसी भी कारण से दो परीक्षा फार्म अलग–अलग भरकर दोनों फार्म पर अलग अलग फीस जमा किया है, यानि फार्म रजिस्ट्रेशन दो है तो ऐसी स्थिति में जमा फीस वापस नहीं की जायेगी।*

(ii) समिति इस तथ्य से अवगत हुई कि सारणीयन पंजिका एवं आवंटित अनुक्रमांक के रेन्ज उपलब्ध कराये जाने पर फर्जी मार्कशीट जारी होने के प्रकरण बढ़ सकते हैं। साथ ही यह भी विदित है कि जो छात्र सेवा में आते हैं उनका सम्बन्धित संस्था/फर्म द्वारा विश्वविद्यालय से नियमानुसार शुल्क जमा करा कर गोपनीय सत्यापन/वैरिफिकेशन कराया जाता है। अतः विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका/आवंटित अनुक्रमांक के रेन्ज एवं परीक्षाफलों को विश्वविद्यालय का गोपनीय रिकार्ड मानते हुऐ किसी भी रुप में किसी अन्य को प्रदान न किया जाय।

(iii) शासन के आदेशानुसार समस्त विश्वविद्यालय के वित्तीय लेनदेन आनलाईन करने हेतु निर्देश प्रदान किया गया है, जिसके क्रम में महाविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क आनलाईन ही देने हेतु आदेशित किया गया है। इस प्रक्रिया में प्रारम्भ में समय लगने के कारण कतिपय महाविद्यालय द्वारा अन्य व्यवस्था देने हेतु अनुरोध किया जा

रहा है। ऐसे महाविद्यालयों के अनुरोध पर आनलाईन फीस जमा करने हेतु, अतिरिक्त समय दी जा सकती है, लेकिन परीक्षा शल्क आनलाईन ही जमा होंगे।

माननीय कुलपति जी के अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

I. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2018 शुचिता व सकुशल सम्पन्न कराने हेतु उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–04 / 2018 / 101 / सत्तर–1–2018–16 (9) / 2018 उच्च शिक्षा अनुभाग–1 दिनांक 01 फरवरी, 2018 से अवगत होना। इस शासनादेश के क्रम में विचारणीय बिन्दु–

निर्णयः परीक्षा समिति ने वार्षिक परीक्षा सुचारू रुप से सम्पन्न कराने हेतु शासनादेश से अवगत होते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि–

1. (क) (i). महिला महाविद्यालय में कुल छात्राओं की संख्या यदि 80 अथवा 80 से अधिक है तो उस महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(ii). सहशिक्षा (Co-Education) वाले महाविद्यालयों में यदि छात्राओं की संख्या 80 अथवा 80 से अधिक है तो उस सहशिक्षा (Co-Education) के महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।

(iii) जो महाविद्यालय स्वयं लिखकर दे रहे हैं कि वे परीक्षा कराने में असमर्थ है, उन महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने का कारण स्पष्ट होने पर कुलपति जी की अनुमति पर ही परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

(ख) परीक्षा केन्द्र निर्धारण में दूरी के मानकानुसार महाविद्यालय की उपलब्धता न होने पर परिस्थितिवश अगर किसी परीक्षा केन्द्र को स्वकेन्द्र रखना पड़ता है तो उस केन्द्र पर एक अलग से पर्यवेक्षक विश्वविद्यालय द्वारा तैनात किया जाय। इस तरह के अन्य सभी परिस्थितियों में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(ग) परीक्षा केन्द्र निरीक्षण हेतु समिति गठन करने के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(घ) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु समिति गठित करने तथा गठित समिति के संस्तुतियों के अनुसार परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति